

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## कार्यवृत्त

दिनांक: 04 मार्च, 2011 को मध्याह्न 12:00 बजे सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये: -

1.	प्रो० हर्ष कुमार सहगल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० नन्दलाल, प्रतिकुलपति	सदस्य
3.	प्रो० संजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
4.	डॉ० बी०एस० श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो० मृदुला भदौरिया	सदस्या
6.	प्रो० ए०एल० जाटव	सदस्य
7.	प्रो० मुकेश रंगा	सदस्य
8.	डॉ० संजय स्वर्णकार	सदस्य
9.	डॉ० अंशु यादव	सदस्या
10.	डॉ० सुदेश कुमार,	सदस्य
11.	डॉ० संदीप कुमार सिंह	सदस्य
12.	डॉ० निरंजन सिंह	सदस्य
13.	डॉ० आर०क० आर्या	सदस्य
14.	डॉ० जहान सिंह यादव	सदस्य
15.	डॉ० आर०बी० चतुर्वेदी	सदस्य
16.	श्री धर्मन्द्र वर्मा, वित्त अधिकारी	सदस्य
17.	श्री महेश चन्द्र, कुलसचिव	सचिव

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद के नये सदस्य श्री धर्मन्द्र वर्मा, वित्त अधिकारी को बधाई एवं समस्त सदस्यों का स्वागत किया एवं परिषद के पूर्व सदस्य श्री एस०सी० मुदगल, वित्त अधिकारी के बहुमूल्य सुझावों एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की। अध्यक्ष महोदय ने परिषद के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री खेमकरन, से०नि० द्वारा बैठक में

प्रतिभाग न करने के सम्बन्ध में परिषद को सूचित किया। विश्वविद्यालय में की गयी अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में कार्यपरिषद द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने की सूचना भी अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद को दी गयी तथा कुलसचिव महोदय ने परिषद को यह अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त परिषद के समुख प्रस्तुत की जायेगी।

**मद सं-१:** कार्यपरिषद की विगत बैठक दिनांक: 26.10.2010 एवं दिनांक: 17.01.2011 के कार्यवृत्त के सम्पूष्टिकरण पर विचार।

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विगत बैठक दिनांक: 26.10.2010 एवं दिनांक: 17.01.2011 की कार्यवाही को यथावत सम्पूष्ट किया।

**मद सं-२:** वित्त समिति की बैठक दिनांक: 15.12.2010 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त वित्त समिति की बैठक दिनांक: 15.12.2010 को यथावत अनुमोदित किया गया।

**मद सं-३:** (क) विश्वविद्यालय के निम्नांकित अनुदानित शैक्षणिक विभागों में शैक्षिक पदों के विज्ञापन संख्या-सी०एस०जे०एम०य००/०१/२०१० दिनांक: 18.01.2010 द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों पर आहूत चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(i) परिषद द्वारा य०जी०सी० के XI<sup>th</sup> Plan के अंतर्गत अंग्रेजी विभाग में प्रवक्ता के 02 अस्थायी पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक: 18.12.10 द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित – सुमना विश्वास पत्नी डॉ० देबोपम दास

अनुसूचित जाति – कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं

(ii) परिषद द्वारा य०जी०सी० के XI<sup>th</sup> Plan, के अंतर्गत शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 02 अस्थायी पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक: 06.01.11 द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित – नलिनी मिश्रा पुत्री डॉ० वी०के० तिवारी

अन्य पिछड़ा वर्ग – श्री ठाकुर प्रसाद पुत्र श्री लल्ला

(ख) विश्वविद्यालय के निम्नांकित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित शैक्षणिक विभागों में शैक्षिक पदों के विज्ञापन संख्या-सी०एस०जे०एम०य००/०२/२०१० दिनांक: 18.03.2010 एवं विज्ञापन संख्या-सी०एस०जे०एम०य००/०३/२०१० दिनांक: 08.06.2010 द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों पर आहूत चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

- (i) परिषद द्वारा गणित विभाग, यूआई0ई0टी0 में रीडर के 01 पद पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 20.12.2010 की निम्नांकित संस्तुति को अनुमोदित किया गया।  
 अनारक्षित – कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं।
- (ii) गणित विभाग, यूआई0ई0टी0 में प्रवक्ता के 09 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 20.12.2010 एवं 21.12.2010 में संस्तुत अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।  
 अनारक्षित – 1. अविनाश कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री कमलेश कुमार चतुर्वेदी  
 2. मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री अनिलकृष्ण प्रसाद सिंह  
 3. सौरभ कपूर पुत्र श्री अजय कपूर  
 4. सुधाकर कुमार चौबे पुत्र श्री परमहंस चौबे
- अ0पि0व0 – 1. नन्द लाल पुत्र श्री देवतादीन  
 2. सौरभ पोरवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र पोरवाल
- अनु0जाति – कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं।
- (iii) मेकेनिकल इंजीनिरिंग विभाग, यूआई0ई0टी0 में रीडर के 03 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 22.12.2010 द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थी को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।  
 अनारक्षित – अजय त्रिपाठी पुत्र श्री रवीन्द्र राय त्रिपाठी
- (iv) मेकेनिकल इंजीनिरिंग विभाग, यूआई0ई0टी0 में प्रवक्ता के 08 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 22.12.2010 एवं 23.12.2010 में की गयी संस्तुतियों को अनुमादित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।  
 अनारक्षित – 1. गगन रत्नाकर पुत्र श्री के0एल0 सोनकर  
 2. सौरभ त्रिपाठी पुत्र श्री हरिप्रसाद तिवारी  
 3. शिवानी सक्सेना पुत्री श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना
- अ0पि0व0 – 1. जितेन्द्र सिंह कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नी लाल कुशवाहा
- अनु0जाति – 1. संतोष कुमार वर्मा पुत्र श्री आर0एस0 वर्मा
- (v) मैटेरियल साइंस एण्ड मैटलर्जिकल इंजीनिरिंग विभाग, यूआई0ई0टी0 में रीडर के 02 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 24.12.2010 की निम्नांकित संस्तुति को अनुमोदित किया गया।  
 अनारक्षित – कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं।
- (vi) मैटेरियल साइंस एण्ड मैटलर्जिकल इंजीनिरिंग विभाग, यूआई0ई0टी0 में प्रवक्ता के 04 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक: 24.12.10 में की गयी संस्तुतियों

८

को अनुमादित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित — 1. सौरभ दीक्षित पुत्र श्री सत्य प्रकाश दीक्षित

2. देबब्रत दास पुत्र श्री प्रफुल्ल कुमार दास

अनु०जति 1. बृज किशोर पुत्र श्री पराणी लाल अहिरवार

(vii) केमिकल इंजीनिरिंग विभाग, य०आई०ई०टी० में रीडर के 02 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 27.12.2010।

कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित न होने के कारण स्थगन समिति की बैठक सम्पन्न नहीं हुई।

(viii) केमिकल इंजीनिरिंग विभाग, य०आई०ई०टी० में प्रदक्षिता के 03 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 27.12.2010 में की गयी संस्तुतियों को अनुमादित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित — 1. वैभव सक्सेना पुत्र डॉ आर०के० सक्सेना

2. प्रतिमा गजभिये पत्नी श्री अविनाश

अनु०जति 1. अरविन्द कुमार गौतम पुत्र श्री अमरजू प्रसाद

(ix) इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग, य०आई०ई०टी० में रीडर के 04 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 29.12.2010 में की गयी संस्तुतियों को अनुमादित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित — 1. राशि अग्रवाल पत्नी श्री सुमित अग्रवाल

अ०पि०व० 1. अनिल कुमार यादव पुत्र स्व० अवस्थी नारायण

(x) इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग, य०आई०ई०टी० में प्रवक्ता के 07 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 29.12.2010 में की गयी संस्तुतियों को अनुमादित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित — 1. नितिन सक्सेना पुत्र स्व० एन०की० सक्सेना

2. गौरव कुमार निगम पुत्र श्री अन्नय कुमार निगम

अ०पि०व० 1. चित्रा शर्मा पुत्री श्री आर०ए० शर्मा

2. राहुल कुमार मौर्या पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मौर्या

अनु०जाति — कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं।

(xi) परिषद द्वारा माइक्रोबायोलॉजी विभाग, आई०बी०एर०बी०टी० में प्रवक्ता के 03 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 13.01.2011 में संस्तुत अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित — 1. एकता खरे पुत्री श्री अरुण कुमार खरे

अ०पि०व० 1. शिल्पी उत्तम पत्नी अमित कटियार

2. अर्चना यादव पत्नी डॉ० विजय कुमार सिंह

- (xii) परिषद द्वारा पर्यावरण विज्ञान विभाग, आई०बी०एस०बी०टी० में प्रवक्ता के 01 पद पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 13.01.2011 में की गयी संस्तुतियों को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थी को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनु०जाति - धरम सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह

- (xiii) परिषद द्वारा बायोटेक्नोलॉजी विभाग, आई०बी०एस०बी०टी० में प्रवक्ता के 06 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 14.02.2011 में संस्तुत अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित - 1. नीलजा सिंधल पत्नी श्री मनीश कुमार

2. देव बक्स सिंह पुत्र श्री सुधाकर सिंह

3. एकता खरे पुत्री श्री अरुण कुमार खरे

4. अन्निका सिंह पत्नी श्री मुकेश कुमार सिंह

अ०पि०व० - कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं।

अनु०जाति 1. शालिनी वर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश वर्मा

- (xiv) परिषद द्वारा एम०फिल० (अंग्रेजी) में प्रवक्ता के 01 पद पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 15.02.2011 में संस्तुत अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित - 1. जसप्रीत कौर पत्नी श्री निशान्त गुलाटी

- (xv) परिषद द्वारा न्यूट्रीशन विभाग, आई०बी०एस०बी०टी० में प्रवक्ता के 03 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 15.02.2011 में की गयी संस्तुतियों को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनारक्षित - 1. आमिना जैदी पुत्री श्री सगीर हुसैन जैदी

2. मणि मिश्रा पुत्री श्री अनिल प्रक.श मिश्रा

3. अनामिका दीक्षित पुत्री स्व० डॉ० डी०के० दीक्षित

- (xvi) परिषद द्वारा कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, यू०आई०ई०टी० में रीडर के 01 पद पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 17.02.2011 में की गयी निम्नांकित संस्तुति को अनुमोदित किया गया।

अनारक्षित - कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं

- (xvii) परिषद द्वारा कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, यू०आई०ई०टी० में प्रवक्ता के 04 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 17.02.2011 में की गयी संस्तुतियों को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थी को श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनु०जाति - कृष्ण कुमार पुत्र श्री श्रीकान्त प्रसाद

अनारक्षित - कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं

(xviii) परिषद द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एण्ड टूरिझमेंट में प्रवक्ता के 03 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 19.02.2011 में की गयी निम्नांकित संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया।

अनारक्षित - कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं हो रहा प्रवक्ता नहीं

अनुज्ञाति - कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं

(xix) परिषद द्वारा लाइब्रेरी एण्ड इंफार्मेशन साइंस किंगडम में प्रवक्ता के 06 पदों पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 19.02.2011 में, की गयी संस्तुतियों को अनुमादित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थी को श्रेष्ठता कम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

- अनारक्षित 1. पूजा शुक्ला पुत्री श्री नन्द कुमार शुक्ला
- 2. पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री भरत सिंह
- 3. नौशिया परवीन पत्नी श्री इमरान अहमद खान

अनुज्ञाति - हेमलता चंचल पत्नी श्री अनिल कुमार वर्मा

(xx) परिषद द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन में प्रवक्ता के 01 पद पर चयन समिति की बैठक दिनांक : 19.02.2011 में संस्तुत अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित को श्रेष्ठता कम में नियुक्ति प्रदान की गयी।

अनुज्ञाति - रश्मि गौतम पुत्री श्री मुंशी लाल

मद सं0-4: विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित संस्थानों/विभागों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद द्वारा गठित समिति की संस्तुति के अनुमोदन पर विचार।

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित संस्थानों/विभागों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में परिषद ने कार्यपरिषद द्वारा गठित समिति की संस्तुति (संलग्नक-क) को यथावत अनुमोदित किया।

मद सं0-5: विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिकों से की जाने वाली 4 प्रतिशत की कटौती से एकत्र हुई धनराशि से एक पृथक कोष बनाने की अनुमति के साथ ही फण्ड को कर्मचारी हितों में उपयोग किये जाने हेतु महाविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तातिव गठित समिति के अनुमोदन पर विचार।

परिषद ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिकों से की जाने वाली 4 प्रतिशत की कटौती से एकत्र हुई धनराशि से एक पृथक कोष बनाने की अनुमति के साथ ही फण्ड

को कर्मचारी हितों में उपयोग किये जाने हेतु महाविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित निम्नांकित गठित समिति पर सम्यक् विचारापरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि सम्बद्ध महाविद्यालय कर्मचारी संघ विधिवत रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

1. कुलपति	पदेन अध्यक्ष
2. वित्त अधिकारी	पदेन सदस्य
3. कुलसचिव	पदेन सदस्य
4. उपनिबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स द्वारा अनुमोदित एसोसिएशन की समिति के अध्यक्ष	पदेन सदस्य
5. उपनिबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स द्वारा अनुमोदित एसोसिएशन की समिति के महामंत्री	सत्रस्य—सचिव

मद सं०-६: विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 26.10.2010 के मद संख्या-३ पर किये गये विनिश्चय के क्रम में विश्वविद्यालय में कैम्पस स्कूल को पुनः शुरू किये जाने की सम्भावना के परीक्षण हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 26.10.10 की मद संख्या-३ पर किये गये विनिश्चय के क्रम में विश्वविद्यालय में कैम्पस स्कूल को पुनः शुरू किये जाने की सम्भावना के प्रकरण पर अध्यक्ष महोदय ने परिषद को यह सूचित किया कि कार्यपरिषद द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का विधिक परीक्षण विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता द्वारा कराया जा रहा है। गठित समिति की रिपोर्ट विधिक परीक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त कार्यपरिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

मद सं०-७: विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग में कार्यरत प्रवक्ता डॉ जतिन कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनिक जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी की जांच—आख्या पर निर्णय लिये जाने पर विचार।

परिषद ने विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग में कार्यरत प्रवक्ता डॉ जतिन कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनिक जांच हेतु नियुक्त जांच आख्या को यथावत अनुमोदित करते हुए डॉ श्रीवास्तव की सेवा समाप्त किये जाने (Termination of Service) का निर्णय लिया।

मद सं0-8: विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्तमान में प्रदत्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता रु. 1800/- से रु. 5000/- बढ़ाये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्तमान में प्रदत्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता रु. 1800/- से रु. 5000/- बढ़ाये जाने पर सैद्धान्ति सहमति प्रदान किये जाने के साथ ही प्रकरण को वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0-9: विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित विभागों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के ग्रुप इंश्योरेंस पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित विभागों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर के अनुदानित पदों पर कार्यरत कर्मियों की भाँति इन्हें भी यह सुविधा प्रदान की जाये।

मद सं0-10: उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2061/सत्तर-4-2010-3(23)/2004टी0सी0 दिनांक: 29.11.2010 के अनुपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार किये जाने हेतु समिति गठित किये जाने पर विचार।

परिषद ने विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित सदस्यों की समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया तथा अपेक्षा की गयी कि यथाशीघ्र नियमावली तैयार कर परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाय।

- |   |            |
|---|------------|
| 1. प्रो० नन्दलाल, प्रति-कुलपति एवं सदस्य कार्यपरिषद | अध्यक्ष    |
| 2. डॉ० निरंजन सिंह, सदस्य कार्यपरिषद                | सदस्य      |
| 3. उपकुलसचिव (प्रशा०)                               | सदस्य      |
| 4. लेखाधिकारी                                       | सदस्य-सचिव |

**मद सं0-11:** विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन-2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली को संशोधित किये जाने हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2840 / सत्तर-1-2010 दिनांक: 31.12.2010 पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन-2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली को संशोधित किये जाने हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र महामहिम कुलाधिपति/ शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**मद सं0-12:** विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में विकलांगजनों को प्रवक्ता के पद की अर्हता स्नातक स्तर 45 प्रतिशत किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में समाहित किये जाने हेतु महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदन दिनांक: 26.10.2010 से परिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में विकलांगजनों को प्रवक्ता के पद की अर्हता स्नातक स्तर 45 प्रतिशत किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में समाहित किये जाने हेतु महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदन दिनांक: 26.10.2010 से संसूचित हुई।

**मद सं0-13:** विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता से परिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता से संसूचित हुई।

6

मद सं0-14: भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद में विश्वविद्यालय की ओर से दन्त विज्ञान संकाय से एक संकाय सदस्य को नामित किये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा दन्त चिकित्सा परिषद में विश्वविद्यालय की ओर से दन्त विज्ञान संकाय से प्रो० डी०के० जयपुरिया, ६/३१-एफ, पार्वती बांगला रोड, कानपुर को नामित किया गया।

### अनुपूरक कार्य-सूची

मद सं0-1: विश्वविद्यालय के जीवन विभाग में प्रवक्ता के रिक्त पद पर चयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों पर की गयी त्रुटिपूर्ण स्क्रीनिंग पर महामहिम कुलाधिपति से प्राप्त आदेश सं0-4192/जी०एस० दिनांक : 21.05.2010 के क्रियान्वयन पर विचार।

परिषद ने विश्वविद्यालय के जीवन विभाग में प्रवक्ता के रिक्त पद पर चयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों पर की गयी त्रुटिपूर्ण स्क्रीनिंग पर महामहिम कुलाधिपति से प्राप्त आदेश सं0-4192/जी०एस० दिनांक : 21.05.2010 के क्रियान्वयन पर सम्यक् विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि सम्बन्धित शिक्षकों (प्रो० एल०सी० मिश्रा, जीवन विज्ञान विभाग, प्रो० आर०र०० कटियार, आई०बी०एम एवं प्रो० के०के० बहल, जीवन विज्ञान विभाग) को उनके कृत्य के लिए चेतावनी दी जाये तथा इसकी व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न किया जाये।

मद सं0-2: अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति, डी०एस०एन०पी०जी० कालेज, उन्नाव के पत्र दिनांक: 12.02.11, जिसमें उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्र 2010-11 में संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र में परास्नातक स्तर पर निर्धारित सीटों से किये गये अधिक प्रवेश को नियमित किये जाने के अनुरोध पर विचार।

परिषद ने अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति, डी०एस०एन०पी०जी० कालेज, उन्नाव के पत्र दिनांक: 12.02.11, जिसमें उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्र 2010-11 में संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र में परास्नातक स्तर पर निर्धारित सीटों से किये गये अधिक प्रवेश को नियमित किये जाने के प्रकरण पर विस्तृत विचारोंपरान्त निर्धारित सीटों से अधिक किये गये प्रवेशों को नियमित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के साथ ही यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित महाविद्यालय को इस आशय की चेतावनी दी जाये कि उक्त की पुनरावृत्ति भविष्य में न की जाये।

८

### अन्य बिन्दु (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

वर्ष-2010 की वार्षिक परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तथा स्कूटनी में की गई विसंगतियों/गड़बड़ियों की जांच हेतु गठित समिति को यांचित अभिलेख अतिगोपनीय विभाग द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में परिषद को अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत कराया कि उक्त अभिलेख विगत दो-तीन माह के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिसके कारण जांच की कार्यवाही बाधित है।

परिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि अतिगोपनीय विभाग को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दो सप्ताह का समय अंतिम अवसर के रूप में प्रदान कर दिया जाये तथा इस अवधि में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण को राजभवन/उत्तर प्रदेश शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु संतर्भित कर दिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न की।

(हर्ष कुमार सहगल)  
कुलपति / अध्यक्ष

(महेश चन्द्र)  
कुलसचिव / सचिव